उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड , नैनीताल में।

रिट याचिका (एस/एस) संख्या –975 /2021

बची सिंह

..... याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

..... उत्तरदातागण।

उपस्थितः श्री हरेंद्र बेलवाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

सुश्री अंजलि भार्गव, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता राज्य/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से।

निर्णय

माननीय रविंद्र मैठाणी जे (मौखिक)

याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोष चाहता हैः

''(i) याचिकाकर्ता द्वारा 01.04.1974 से दैनिक मजदूरी के आधार पर प्रदान की गई सेवाओं पर विचार करने के उपरान्त, अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सेवानिवृत्ति के दिनांक तक, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के तहत याचिकाकर्ता के पक्ष में उपदान राशि की फिर से गणना करने और जारी करने के लिए उत्तरदातागण को परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

(ii) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 7(3)(क) के अधीन देय सांविधिक ब्याज प्रदान करने के लिए उत्तरदाता विभाग को आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी करना।

(iii) कोई उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी करना जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे।

(iv) याचिकाकर्ता को रिट याचिका का व्यय प्रदान करना।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

3. सबसे पहले, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से जानना चाहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 के तहत गठित राज्य लोक सेवा अधिकरण से

वैकल्पिक प्रभावोत्पादक उपचार की उपलब्धता के दृष्टिगत प्रस्तुत याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है।

4. इस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि याचिकाकर्ता को आज से दस दिनों की अवधि के भीतर उत्तरदाता संख्या 2 को एक अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी जा सकती है, जिसमें उत्तरदाता संख्या 2 को एक निश्चित समय के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का अग्रेत्तर निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त नेतराम साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, (2018) 5 एससीसी 430, में निर्धारित विधि के दृष्टिगत दिया जा सकता है, जिसका इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में लगातार पालन किया गया है।

5. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा अभ्यावेदन दिया जाता है, तो यह उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर तय किया जाएगा।

6. न्यायालय राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए कथन को रिकॉर्ड पर लेता है।

7. रिट याचिका का निस्तारण याचिकाकर्ता को आज से दस दिनों के भीतर अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है, जिसमें उत्तरदाता संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन पर अभ्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर उस पर निर्णय लिया जाए। लेकिन, यदि अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद भी विवाद का समाधान नहीं होता है, तो इस विषय पर किसी भी रिट याचिका पर इस न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि वह प्रस्तुत रिट याचिका की अग्रेत्तर कार्यवाही में है।

(रवींद्र मैठाणी, जे.)

03.08.2021

अवनीत/